(b) and (c) The anti-dumping duty is a statutory levy for realisation as such when duly imposed. Indian exports have been subjected to anti-dumping investigations in other countries mainly the European Union and USA. In India, Government have taken up anti-dumping investigations the details of which is relation to products, country of supply and duty imposed are given in the enclosed Statement.

Statement

Details of Anti-Dumping Duty Imposed Arising from Investigations Carried out.

	Product	Country	Duty Imposed Duty	L'evied on
1	PVC Resin	Argentina	Nil duty	18.1.94
		Brazil Maxico	Rs. 2036/MT	18.1.94
		South Korea	Rs. 1619/MT	18.1.94
		U.S.A.	Rs. 1253/MT	18.1.94
			Rs. 504/MT	18.1.94
2.	Bisphenol-A	Japan	Rs. 7477/MT	11.3.94
3.	Potassium Permanganate	China	Rs. 5992/MT	5.9.95
4.	Isobutyl Benezene	China	Rs. 10634/MT	31.8.95
5.	3,4,5 Trimethoxy Bcnzaldehyde (TMBA)	China	Rs. 237/Kg.	20.10.95
6.	Theophylline	China	Rs. 108/Kg.	20.10.95
	Caffienc	China	Rs. 101/Kg.	20.10.95
7.	Acrylonitrile Butadiene Rubber	Japan	Rs. 19306/MT	14.11.95
8.	Bispnenol-A	Barazil	Rs. 10263/MT	26.12.95
		Russia	Rs. 12559/MT	26.12.95

परियोजनाओं/योजनाओ का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

1023. **श्री अजीत जोगी** :

श्री एस.एस.सुरजेवाला :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने उन परियोजनाओं/योजनाओं का एक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन तैयार किया है, जिनके लिए 1994-95 तथा 1995-96 की वार्षिक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटितत की गई थी,

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है, जिन्होंनें कुल आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है,

(ग) क्या राज्यों को आवंटित राशि का उपयोग, वार्षिक योजना मे सम्मिलित विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं पर ही कब्जा किया गया था,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ड.) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना आवंटन को बढ़ाने/घटाने के संबंध में यदि कोई मापदंड है, तो ये क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का समग्र मूल्यांकन किया जाता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समायोजन प्रस्तावों के आधार पर योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित अनुमानों सहित

वर्ष 1994-95 के लिए बजट अनुमान (वितरण नीचे देखिए) में दिए गए है । वर्ष 1995-96 के लिए व्यय की प्रगति चालू वितत वर्ष के समाप्त होने के बाद पता चलेगी ।

(ग) से (ड.) मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य निधियों को एक स्कीम से दूसरी को अंतरित कर सकते हैं, जहां तक कि निर्धारित क्षेत्रको/स्कीमों के लिए परिव्यय परिवर्तित नहीं किए जाते । सामान्य केन्द्री सहायता का दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित अथवा संशोधित अनुमोदित योजना परिव्यय से संदर्भ सहित योजना व्यय में कमी तथा निर्धारित परिव्ययों से किसी अंतर के लिए यथा अनुपात आधार पर समायोजन/कटौती होती है ।

विवरण

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1994-95		वार्षिक योजना 1995-96
		अनुमोतिद परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	2130.00	2170.00	3159.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	335.00	332.97	471.00
3.	असम	1051.00	997.20	1418.32
4.	बिहार	2400.00	900.20	2500.00
5.	गोआ	182.00	163.38	210.00
6.	गुजरात	2240.00	2240.83	2610.00
7.	हरियाणा	1025.00	1019.05	1250.00
8.	हिमाचल प्रदेश	650.00	666.32	750.00
9.	जम्मू व कश्मीर	950.00	868.00	1050.00
10.	कर्नाटक	3275.00	2800.00	3575.00
11.	केरल	1260.00	1260.00	1550.00
12.	मध्य प्रदेश	2750.00	2253.29	2900.00
13.	महाराष्ट्र	4400.00	4758.00	5907.00
14.	मणिपुर	240.00	214.50	300.00
15.	मेघालय	281.00	232.12	306.52
16.	मिजोरम	207.66	202.53	227.00
17.	नागालैंड	220.00	84.39	240.00
18.	उड़ीसा	1951.00	1464.18	1650.00
19.	पंजाब	1450.00	1374.46	1675.00
20.	राजस्थान	2450.00	2450.00	3200.00
21.	सिक्किम	135.00	135.00	192.00
22.	तमिलनाडु	2750.00	2750.00	3200.00
23.	त्रिपुरा	310.00	244.57	350.00
24.	उत्तर प्रदेश	4562.00	3639.84	5477.00
25.	पश्चिम बंगाल	1709.00	1483.31	2065.00
	जोड़ (राज्) :	38910.66	34705.29	46233.34

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1994-95		वार्षिक योजना 1995-96
		अनुमोतिद परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	205.00	200.00	215.00
27.	चंडीगढ़	88.00	88.00@	X00.00
28.	दादर व नगर हवेली	25.00	27.00	39.00
29.	दमन व दीव	18.500	21.50	23.00
30.	दिल्ली	1560.00	1560.00@	X720.00
31.	लक्षद्वीप	32.00	32.00@	=8.60
32.	पांडिचेरी	135.00	135.00	175.52
	जांड़ (संघ राज्य क्षेत्र) :	2063.50	2063.78	2301.02
	जोड़ (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र):	40974.16	36768.78	48534.46

@धंशोधन नहीं मांगा गया, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया

Number of Registered Unemployed Persons

1024. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of registered unemployed persons in the country up to the end of 1995, State-wise;

(b) whether it is a fact that the said number has increased as compared to previous year; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) Statewise number of job-seekers, all of whom are not necessarily unemployed, on the live register of employment exchanges in the country as on 30th November, 1995 is furnished in the Statement enclosed *(See* below)

(b) and (c) The total number of job-seekers on the live register of the Employment Exchange has shown a marginal increase of around 1% during the period November, 1994 to November, 1995.

Statement

Number of job-seekers on the live Register of employment exchange in the country as on 30-11-1995

(In thousand)

States/Union Territories	Number of Job-seekers on live regis-ter as on 30-11-1995
States	
1. Andhra Pradesh	2756.5
2. Arunachal Pradesh	8.4
3. Assam	1246.2
4. Bihar	3739.5
5. Goa	108.6
6. Gujarat	909.3
7. Haryana	691.7
8. Himachal Pradesh	589.0
9. Jammu & Kashmir	144.1
10. Karnataka	1752.9
11. Kerala	3966.3
12. Madhya Pradesh	2161.7